कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। दुग्ध संकलन परिवहन हेतु प्रकाशित निविदा ।।

1	निविदा कार्य–दुग्ध संकलन परिवहन बाबत्	
2	निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रू. 500/– (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र)
3	निविदा अवधि	दिनांक 01.12.2018 से 30.11.2019 तक
4	निविदा प्रपत्र विक्रय स्थान एवं दिनांक	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के प्रशासनिक भवन (क्षेत्र संचालन शाखा) कार्यालयीन समय में 28.09.2018 से 11.10.2018 दोपहर 12.00 बजे तक
		दुग्ध शीत केन्द्र– धमतरी, पखांजूर, बसना एवं रायगढ़ में 29.09.2018 से 10.10.2018 तक
5	निविदा जमा	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 11.10.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक
6	निविदा खोलना	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 11.10.2018 को दोपहर 3.00 बजे

महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..
ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

।। निविदा फार्म वर्ष 2018–19 ।।

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध संकलन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूं। अमानत राशि रू. 5000/– (अक्षरी पांच हजार रूपयें मात्र) की डी.डी. उपलब्ध वाहनो की संख्या का शपथपत्र निविदा प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है–

(1) निविदाकार का नाम ————————————————

(2) पिता का नाम ————————————————

(3) स्थायी पूरा पता ————————————————

————————————————

(4) वाहन क्रमांक ————————————————

(5) वाहन का प्रकार/मॉडल वर्ष/क्षमता ————————————————

(6) दूरभाष/मोबाईल नंबर ————————————————

(7) संकलन मार्ग क्रमांक ————————————————

(8) संकलन मार्ग का विवरण————————————————————————————

(9) संकलन परिवहन (निविदा) दर रूपये ———————————— प्रति किलो मीटर

(अक्षरी रू.————————————————————————————————————)

(10) वाहन के वैध पंजीयन, अध्यतन बीमा और अध्यतन फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।

(11) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर ————————————————

(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम————————
फोन नंबर ————————————
मोबाइल नंबर .....

।। घोषणा पत्र ।।

मैं घोषित करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण सत्य है मुझे दुग्ध महासंघ की सभी शर्ते मान्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम : .....

पता : .....

.....

मोबाईल नंबर : .....

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

1 ..... **2** ..... **3** .....

4 ..... **5** ..... **6** .....

7 ..... **8** ..... **9** .....

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/ **4358** /छ्गदुमसं/क्षेत्र संचा./Ten. 2018-19 लेटर/2018 उरला, दिनांक **25/09/2018**

।। दुग्ध संकलन परिवहन हेतु द्वितीय निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला तथा दुग्ध महासंघ से सम्बद्ध दुग्ध शीत केन्द्र–धमतरी, पखांजूर, रायगढ़, बसना एवं संबंधित दुग्ध समितियों के बल्क मिल्क कूलर ईकाईयों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से, दुग्ध संकलन वाहनों से, दुग्ध संकलन कार्य के लिए एक वर्ष की अवधि (01.12.2018 से 30.11. 2019 तक) के लिये किराये बाबत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। दुग्ध शीत केन्द्रो/दुग्ध संयंत्रो पर निविदा प्रपत्र प्रति दुग्ध संकलन मार्ग हेतु रू. 500.00 की दर पर उपलब्ध है, निविदा के साथ प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु रू. 5000.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय हो, निविदा फार्म के साथ दिनांक 11.10.2018 तक दोपहर 2.00 बजे तक ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला–दुर्ग में जमा करना होगा।

प्राप्त समस्त निविदायें, दिनांक 11.10.2018 को दोपहर 3:00 बजे निविदाकारो के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाईट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.
ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

(1) निविदा निहित प्रपत्र पर ही मान्य होगी, प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक एवं मार्ग विवरण के वाहन हेतु अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा।

(2) निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नहीं होगी ।

(3) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी राशि रू. 5000.00 का डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा। **''नगद राशि जमा नही होगी''**

(4) बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा/निविदायें मान्य नहीं होगी । रसीद/ ड्राफ्ट आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

(5) निविदा लिफाफा चपड़ी में बंद होना चाहियें।

(6) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात निविदा क्रमांक एवं दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें । यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहां निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

(7) निविदा में दर प्रति कि.मी., माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा ।

(8) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा । इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें । तथा मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा ।

(9) वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए ।

(10) आवश्यकता होने पर निविदाकार को अपना वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाना होगा।

(11) निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग पर दिये जाने वाले प्रत्येक वाहन विरूद्ध वाहन प्रतिभूति राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	वाहन का प्रकार	राशि
1	जीप	15000.00
2	टाटा ए.सी.ई.	15000.00
3	महेन्द्र मैक्स	15000.00
4	डी.आई 207	15000.00
5	पिकअप	15000.00
6	टाटा 407	20000.00

निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद कार्यालय में अनुबन्ध निष्पादन के समय जमा करनी होगी । निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न होने से धरोहर राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी । महासंघ द्वारा निविदाकार से प्राप्त ''धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा'' ।

(12) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी।

(13) निविदा के संदर्भ में अनुबन्ध की शर्तें एवं निविदा निहित प्रपत्र में संलग्न करनी होगी।

(14) संचालक मण्डल एवं महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति प्राप्त होने पर स्वीक्त नहीं की जायेगी । अथवा स्वीकृत होने की दशा में जांच कर निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(15) ऐसे वाहन ठेकेदार जो गतवर्ष अनुबंधित किये गये थे, जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा की निविदा, कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी । इस हेतु किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

(16) निविदा स्वीकृत अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(17) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी । साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तद्नुसार कटौती की जोवेगी ।

(18) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

(19) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन वाहन ठेकेदार को एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(20) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध उत्पन्न होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन हेतु भेजा जा सकेगा।

(21) संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(22) पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा की वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगी।

(23) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष को होगा। अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।

(24) वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्राप्त होने के 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। साथ ही दुग्ध संकलन वाहन पर दुग्ध महासंघ का सम्पर्क मोबाईल नंबर लिखवाना होगा।

(25) अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही उपयोग किया जावेगा।

(26) समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र रायपुर ही रहेगा।

(27) यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) में डाला गया है तो वह निविदा नही भर सकेगा। साथ यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नही किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी।

(28) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदा दर में सम्मिलित करें। जिन मार्गो पर अनुबंध पश्चात् नये टोल टेक्स प्रारंभ होगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

(29) अनुबंध अवधि में किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम न्यूनतम निविदा दर वाले द्वारा वाहन नही लगाया जाता या अनुबंध अवधि में बीच में वाहन बंद किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को वाहन चलाने हेतु आदेश किया जा सकेगा।

(30) निविदा स्वीकृत होने पर 500.00 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टांम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्ते बाटर मार्क पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

दुग्ध संकलन कार्य हेतु अनुबन्ध

फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती ..... निवासी ..... है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक ———————— मार्ग विवरण ———————————————————————————— द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन क्रमांक————————————————माडल ———————— भार वाहन क्षमता———————— टन, रूपये ———————— शब्दों में ———————————————————————————— प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी ———————— कि.मी. आज दिनांक ———————— जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध संकलन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :–

(1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ———————— से ———————— तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा । आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है ।

(2) इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा । शर्तों में जहां – जहां संस्था शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित एवं जहां–जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला– दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य डेरी डाक उरला, जिला– दुर्ग होगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत शीत केन्द्र शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य दुग्ध शीत केन्द्र बसना, धमतरी, पखांजूर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भाठागांव, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, कबीरधाम एवं बी.एम.सी. टप्पासेवईया, गोड़बहाल, छिलपावन, नरतोरा, कसहीबहरा, खुटेरी, कौहाकुड़ा, उमरिया, मोहदा, केदुवा, अमलीडीपा, केना, रंगोरा, भगतदेवरी, लेन्धा, बरपाली, गोबरसिंघा, अमझर, बनहर, सालर, लखौली, अमेरा, रोहांसी, कोसरंगी, रावण, पोड़, श्यामनगर, पुटीडीह, बम्हनीडीह, सहदेवनगर, अर्जुन्दा, खैरागढ़, बेन्द्री, बड़गांव, बंगोली, सुंगेरा, मावलीभाठा, सरदा, बीजागोड़ से होगा।

(3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि जिसमें जीप/टाटा ए. सी.ई./महेन्द्रा मैक्स/डी.आई. 207/पिकअप हेतु रूपये 15000/– (अक्षरी रूपये पंन्द्रह हजार मात्र)/टाटा 407, वाहन हेतु रूपये 20000/– (बीस हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला–दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर परिवहन देयक से प्रतिभूति राशि कटौत्रा की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर संबंधित दुग्ध समितियों से/क्षेत्राधिकारी/ग्रामीण विस्तार संगठकों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर राशि की वापसी हेतु आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा तथा लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा । द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समाप्त या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित दुग्ध समितियों से अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(4) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर धुले, खाली केन ढक्कन सहित नामांकित संस्थाओं को पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढ़क्कन सहित डेयरी तक लाने की जावबदारी व्दितीय पक्ष की होगी । इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार को (व्दितीय पक्ष) द्वारा मान्य होगी । समितियों द्वारा दूध केनों को सील्ड कर भेजा जाता है उन सभी केनों को सील्ड डेयरी डाक तक मापतौल होने तक सुरक्षित रखने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी । केन सील्ड टूटे अथवा बदले पाये जाने पर एवं ऐसी दशा में समिति से हानि की शिकायत प्राप्त होने पर हानि की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली जावेगी । मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाये जाने पर द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित सूचना महासंघ को उसी दिन एवं उसी पाली में देनी होगी, जिसकी जांच महासंघ द्वारा की जायेगी । केन व ढक्कन प्राप्ती एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को देना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में या गुम हो जाने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर निदान करना होगा । निदान न होने कि स्थिति में संस्थाओं के एल्यूमिनियम केन मय ढक्कन की राशि रू. 4000.00 (अक्षरी चार हजार मात्र) जिसमें केन की राशि रू. 3500.00 + ढक्कन की राशि रू. 500.00) तथा स्टेनलेस स्टील केनमय ढक्कन की राशि रू.4500.00 (अक्षरी चार हजार पांच सौ मात्र, जिसमें केन की राशि 4000.00 + ढक्कन की राशि 500.00) वाहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी । इस हेतु महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । महासंघ द्वारा संस्थाओं को दिये जाने वाले सामान पशु आहार, घी, घास बीज, संस्था में लगने वाले मिल्को टेस्टर, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, दुग्ध संग्रहण व जांच उपकरण सामान एवं लेखन सामग्री, रजिस्टर, एसिड, अलकोहल एवं अन्य सामान डेयरी से ले जाने व संस्था में उतारने, उसका लेखा जोखा महासंघ द्वारा बताये अनुसार द्वितीय पक्ष को रखना होगा । उक्त सामान गुम होने पर नुकसान होने अथवा उसी दिन उसी पाली में संस्था को न पहुंचाये जाने की स्थिति में उस सामान की पूरी कीमत एवं रूपये 50/— प्रति समिति दण्ड लगाकर व्दितीय पक्ष से वसूल की जायेगी ।

(5) किसी दशा में डेयरी पर वाहन समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर होने वाले समस्त नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त यदि संकलित दूध का 50 प्रतिशत से अधिक खट्टा/फटा दूध डेयरी डाक पर प्राप्त होने पर परिवहन भाड़े से 50 प्रतिशत का कटौत्रा किया जायेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

(6) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।

(7) किसी भी कारण से यदि संकलन मार्ग पर दुग्ध संकलन कार्य बंद रहता है तो व्दितीय पक्ष को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी ।

(8) दुग्ध वाहन निर्धारित समय से डेयरी डाक पर न पहुंचने की स्थिति में प्रत्येक 15 मिनट के लिए रू. 25/—अक्षरी रूपये पच्चीस मात्र/या खट्टे/फटे दूध से होने वाली हानि की राशि का जो भी अधिक हो द्वितीय पक्ष से बसूला जायेगा ।

(9) किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में ठेकेदार सम्मिलित नही हो सकेगा, दुग्ध परिवहन नियमित दिन में दो बार करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(10) ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो परीक्षण परिणाम होगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।

(11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा ।

(12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा । महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा एवं पूर्व में महासंघ एवं संस्था स्तर पर दूध की मात्रा तथा परीक्षण परिणाम में होने वाले अंतर की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काट ली जायेगी । लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षो तक महासंघ की निविदायो में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यदि महासंघ द्वारा दिये निर्धारित दिनांक तक समिति में सप्लाई होने वाला सामान व्दितीय पक्ष द्वारा समिति पर नहीं पहुंचाया जाता है तो महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर सामान पहुंचायेगा, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।

(13) मार्ग पर संस्थाओं को महासंघ द्वारा भेजे जाने वाले सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए एवं उसका ठीक हिसाब रखने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा । निम्नलिखित सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए महासंघ द्वारा अलग से भाड़ा दिया जावेगा जो निम्नानुसार रहेगा :—

(क) पशु आहार प्रति बोरा रू. 5/— (अक्षरी रूपये पांच मात्र)

(ख) घी प्रति टीन 15 किलो अथवा 16 किलो के कार्टून के लिए 5.00 रूपये (अक्षरी पांच रूपये मात्र)

(ग) घास बीज प्रति बोरा रू. 5/— (अक्षरी रूपये पांच)

(घ) विपणन कार्य के लिए दुग्ध परिवहन पर प्रति क्रेट 5.00 रूपये (अक्षरी पांच रूपये मात्र)

अन्य सामानों के परिवहन हेतु कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा । उपरोक्त कार्यों के लिए प्रत्येक माह में द्वितीय पक्ष को देयक प्रस्तुत करना होगा ।

(14) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे । लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा । ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है ।

(15) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(16) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के संकलन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा, या इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है । ठेके की अवधि में किसी दिन द्वितीय पक्ष अपने दूग्ध संकलन मार्ग की संस्थाओं की संकलित दूध परिवहन हेतु वाहन नहीं भेज पायेगा तो ऐसी परिस्थिति में हानि के रूप में उस दिन संस्थाओं द्वारा संग्रहित दूध का समस्त मूल्य एवं संस्थाओं के हेडलोड की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । उक्त स्थिति में परिवहन महासंघ द्वारा किया जाता है तो उस वाहन का अतिरक्त भुगतान भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल किया जायेगा । द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा । बिना अनुमति के वाहन बदलने पर निराकरण न होने की दशा में देयक से 50 प्रतिशत राशि कटौत्रा की जायेगी एवं समस्त हर्जाने के जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होंगा ।

(17) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों को भुगतान किया जायेगा । प्रथम पखवाड़े को देयक दिनांक 20 को दिये जाने पर 30 तारीख तक भुगतान किया जावेगा । इसी तरह द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिये जाने पर दिनांक 15 तक भुगतान किया जावेगा ।

(18) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा संस्था व महासंघ के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी । कार्यवाही नहीं करने की दशा में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी । वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन–देन नहीं किया जावेगा और न ही ऐसी किसी राशि का कटौत्रा महासंघ द्वारा उनके देयक से किया जावेगा इसके उपरांत यदि लेन–देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारी की होगी ।

(19) महासंघ एवं संस्थाओं द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक मांग पत्र एवं फैट–वैट स्लिप उसी दिन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । ऐसा न करने पर महासंघ द्वारा प्रतिपाली प्रति संस्था के हिसाब से रू. 5/– (अक्षरी रूपये पांच मात्र) द्वितीय पक्ष के बिल से वसूल किये जावेगे ।

(20) "वर्षा, प्राकृतिक विपदा एवं अन्य उचित कारण से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में पंचनामा प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा लिया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से मान्य होगा ।"

(21) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 5000/— (अक्षरी रूपये पांच हजार मात्र) हस्तातंरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तातंरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

(22) दुग्ध वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए द्वितीय पक्ष को वाहन पर हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार दूध से भरे केनों पर खाली बोरी रखकर उस पर पानी छिड़कने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा वाहन समय पर आने के बावजूद यदि दूध खट्टा/फटा होता है तो हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जायेगी । हूड एवं त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर प्रबन्ध संचालक को विवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

(23) महासंघ के अधिकारी अथवा सुपरवाइजर द्वारा मार्ग के चेकिंग के दौरान दुग्ध वाहन के कर्मचारियों के द्वारा दूध में गड़बड़ी करते अथवा कराते हुए पाया गया तो मार्ग पर पड़ने वाली सभी संस्थाओं की ठेके के दौरान दूध में जो कमी आयी है व अन्य हानि हुई है वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जायेगी । इस संबंध में महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । इसी प्रकार दुग्ध समितियों या अन्य जन सामान्य द्वारा वाहन में दूध की हेराफेरी करते हुए पाये जाने पर, उनके फोटो के आधार पर उक्तानुसार हानि की वसूली की जावेगी एवं ठेका निरस्त कर काली सूची में अंकित किया जावेगा।

(24) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इसी वजह से महासंघ या संस्था को हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।

(25) डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाले वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

(26) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों मे स्वयं करने पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर आपसी चर्चा द्वारा अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407	10

इस प्रकार औसत कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दरों में वृद्धि/कमी प्रत्येक तीन माह में प्रभावशील डीजल दर से प्रति कि.मी. कमी या वृद्धि की जावेगी।

(27) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा । यदि तीन माह पूर्व की सूचना नही दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(28) वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों में यदि वाहन संस्था तक नही जा सके तो हेडलोड की व्यवस्था महासंघ द्वारा की जावेगी, जिसका भुगतान हेडलोड दूरी के लिए हेडलोड राशि का भुगतान महासंघ द्वारा दुग्ध देयक के माध्यम से संस्था को किया जावेगा एवं कि.मी. के अंतर की राशि का कटौत्रा ठेकेदार के देयक से किया जायेगा ।

(29) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा । साथ ही डेयरी/शीत केन्द्र में खाली केन वाहन में भरना, संस्था पर खाली केन उतारना, दूध भरे केन डाक पर उतारना, साथ ही केन के उपर रखी बोरी में बाहर से पानी छिड़कने आदि का कार्य करेगा । दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा । यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलंम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे की दुग्ध समितियों के सचिवों एवं हेडलोडरो को उनके सम्पर्क नंबरो पर अवगत कराना होगा।

(30) दुग्ध वाहन में प्रति पाली ट्रक शीट संस्था के फैट एवं वेट स्लिप दुग्ध वाहन चालक को ले जाना अनिवार्य होगा । वाहन चालक द्वारा ट्रक शीट संस्था के कर्मचारीयों से/हेडलोडर से भराया जावेगा, ऐसा न करने पर वाहन के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगी । ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होगा । डेयरी डाक में वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन प्रतिपाली ट्रक शीट से संबंधित दूध पर्ची व मांग पत्र, ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में संस्थाओं द्वारा प्राप्त शिकायत मान्य होगी व इसी आधार पर द्वितीय पक्ष से संस्था की हानि की राशि वसूली जायेगी ।

(31) महासंघ द्वारा प्रदाय समस्त सामाग्री रसीद/पावती द्वितीय पक्ष के चालक अथवा कन्डेक्टर द्वारा भण्डार के चालान दुग्ध समितियों से प्राप्त कर भण्डार शाखा में देना होगा व महासंघ द्वारा भेजी गयी डाक की पावती भी देनी होगी ।

(32) दुग्ध वाहन ठेकेदार को वाहन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. की प्लेट एवं पत्र पेटी लगाना एवं उसका निरंतर उपयोग आवश्यक होगा एवं पत्र पेटी वाहन में लगा हुआ नही पाये जाने पर प्रतिदिन रू. 50/–अर्थदण्ड लगाया जावेगा जो कि वाहन परिवहन देयक से काटा जायेगा । ठेके की अवधि समाप्त होने या ठेका निरस्त होने की स्थिति में उसे मिटाना अनिवार्य होगा । तद्उपरान्त ही अमानत राशि लौटायी जायेगी ।

(33) महासंघ द्वारा निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार महासंघ को रहेगा । इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।

(34) उपरोक्त शर्तों का पालन करने या महासंघ द्वारा समय–समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का ठेकेदार पालन करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।

(35) दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनायें दूध विक्रय हेतु नही है इस तरह की पट्टियां जिसमें काली पट्टी पर सफेद अक्षरो से अंकित पेंट की हुई लगाना होगा। महासंघ द्वारा दिये गये विज्ञापन प्लेट/पत्र पेटी अपने स्वयं के खर्चे पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी वाहन पर लिखना आवश्यक है ।

(36) यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फैट की कमी की शिकायत महासंघ कार्यलय को प्राप्त होती है तो महासंघ के अधिकारी या पर्यवेक्षक सप्ताह में तीन दिन तक उक्त मार्ग के दूध वाहन में साथ जायेंगे । अधिकारी या पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न रहने पर उन दिनों के यदि किसी भी संस्था/समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर दूध या फैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है । संस्था/समिति को हुए नुकसान की राशि अनुबन्ध की शर्त क्रमांक 23 के अनुसार संबंधित मार्ग के परिवहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी ।

(37) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्कता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सके ।

(38) दुग्ध संकलन वाहनों से मार्ग पर यदि दुग्ध वितरण का कार्य किया जाता है तो दूध से भरी क्रेट का रूपये 5.00 व साथ ही दूध से भरे केन रू. 1.00 प्रति लीटर के मान से दिया जायेगा।

(39) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारीयां/मुआवजा की जवाबदारी द्वितीय पक्ष पर अकेला ही होगा।

(40) पशु आहार के वितरण के लिए महासंघ के निर्देश की अवहेलना करने पर वाहन ठेकेदार को प्रथम तीन दिन की रूपये 100/— (अक्षरी रूपये एक सौ मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड देते रहना होगा । तत्पश्चात चौथे दिन अपने वाहन द्वारा पशु आहार न ले जाया गया तो महासंघ की ओर से स्पेशल वाहन द्वारा पशु आहार भेजा जायेगा एवं उस पर होने वाले वास्तविक व्यय को द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटा जायेगा एवं दंड भी किया जायेगा । यह शर्त महासंघ द्वारा संस्थाओं को प्रदाय की जाने वाले अन्य सामग्री हेतु भी लागू होगा ।

(41) महासंघ द्वारा समितियों को प्रदाय करने हेतु दी गई सामाग्री के चालान की कापी पर संस्था कर्मचारीयों के हस्ताक्षर सील सहित पूर्ण कराकर हस्ताक्षरित चालान पुनः महासंघ कार्यालय में जमा करना होगा । हस्ताक्षरित चालान जमा न करने पर संबंधित संस्था को भेजे गए सामान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकती है ।

(42) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय—समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होगा । ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौत्रा के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा।

(43) डेरी डाक/शीत केन्द्र पर दुग्ध संकलन के पश्चात् धुले हुए खाली केन, नाम लिखने एवं अन्य कार्य हेतु दो घंटे तक रोके जा सकेगें तथा यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही वाहन को खाली केन प्रदाय किये जायेंगे । इस अवधि में दूध परिवहन वाहन डेयरी/शीत केन्द्र पर रोका जा सकेगा ।

(44) अनुबन्ध की शर्तो को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों मे परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी ।

(45) इस अनुबन्ध एवं इसकी शर्तों में समय—समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिससे द्वितीय पक्ष मानने को बाध्य होगा ।

(46) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।

(47) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

(48) दूध से भरे केनो की अधिकतम संख्या निम्नानुसार रहेगी—

क्र.	वाहन का प्रकार	केन की संख्या
1	जीप	15
2	टाटा ए.सी.ई.	30
3	महेन्द्र मैक्स	40
4	डी. आई. 207	40
5	पिकअप	40
6	टाटा 407	75

अनुबंधित वाहन में उक्त अधिकतम क्षमता से अधिक केन लाने पर प्रतिपाली प्रति केन रू. 10/— अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

(49) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए, ऐसे वाहन चालको की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावें।

(50) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नही चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

(51) दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(52) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

(53) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

(54) विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नही होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नही लगाया, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(55) महासंघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नही पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नही करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। इसी प्रकार हेडलोड के समय पर नही पहुंचने पर 05 मिनट इंतजार कर अगले पाईन्ट पर जायेगा।

(56) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(57) डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेगें, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने–धोने जैसे कार्य नही करेगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नही किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो महासंघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर के अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगा।

(58) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. ..... संबंध ..... उम्र ..... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. ..... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।

(59) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

(60) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(61) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओ को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।

(62) संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नही रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।

(63) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा में ही दर सम्मिलित करें। जिन मार्गो पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

(64) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा । दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा की शर्त एवं नियम 01 से 63 तक मैने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है ।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ———————— को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि प्रति वाहन जीप/टाटा ए.सी.ई0./महेन्द्रा मैक्स/डी.आई. 207/पिकअप हेतु 15000/— (अक्षरी पंन्द्रह हजार रूपये मात्र) /टाटा 407 वाहन हेतु रू. 20000.00 (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला जिला—दुर्ग के कार्यालय में रसीद क्रमांक —————————— दिनांक ———————— को बैक ड्राफ्ट/नगद द्वारा जमा किया गया ।

मैं .... द्वितीय पक्षकार अनुबंध की शर्तो का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवाश में कर लिया है एवं निम्न साक्षियो के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
प्रबन्ध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.	**अनुबन्धकर्ता** नाम ———————————————— पता ———————————————— ———————————————— ————————————————
गवाह प्रबन्ध पक्ष	**अनुबन्धकर्ता के गवाह**
1— हस्ताक्षर—————————— नाम —————————————— पता —————————————— ——————————————	1—हस्ताक्षर—————————————— नाम ———————————————— पता ———————————————— ————————————————
2— हस्ताक्षर—————————— नाम —————————————— पता ——————————————	2—हस्ताक्षर—————————————— नाम ———————————————— पता ————————————————

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी—
उनकी पत्नी का नाम—
हस्ताक्षर—
हमारा स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)—

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्र.		मार्ग विवरण	मार्ग क्र.	वाहन भार वाहक क्षमता	अनुमानित कि.मी. प्रतिदिन
		उरला डेयरी संयंत्र से संबद्ध मार्ग			
1	1	सेमराटीला–पोड़–कठिया–सुंदरकेरा–पी जामगांव– थनौद–पचेड़ा–खण्डवा–उपरवारा–केन्द्री–बेन्द्री बी.एम.सी.	1	पिकअप	158
2	2	पटेवा–पिपरौद–हसदा–अभनपुर–झांकी–केन्द्री शटल पाइंट	1 शटल	टाटा ए.सी.ई.	94
3	3	सुंगेरा बी.एम.सी.–रांका–कठिया–खिलोरा–सिमगा–सांकरा–मोहदा–कपसदा–कूंरा–बी.एम.सी. सुंगेरा	3–संकलन	डी.आई./अशोक लेलेण्ड	214
4	4	कोसरंगी बी.एम.सी.–रानीसागर–अछोला–परसदा–सेमरिया–तुलसी–बाना –कोसरंगी बी.एम.सी.	3 शटल	टाटा ए.सी.ई.	144
5	5	बड़गांव–फरफौद–नारा–खौली–टेकारी–बड़गांव–चटौद	4 शटल	पिकअप	96
6	6	बंगोली बी.एम.सी.–कठिया–मोहरा–तिल्दा–मढ़ी–खौना–सारागांव–बंगोली बी.एम.सी.	5 शटल	पिकअप	140
7	7	पलारी–टिपावन–दतान–सिसदेवरी–गोड़ा–खोरसी–बुढेरा–बंगोली	5 सुबह पाली	पिकअप	80
8	8	रोहांसी–खरोरा–अमेरा–कोसरंगी–बंगोली–चटौद 4 शटल का शीतलीकृत दूध उठाकर उरला डेयरी	5 शाम पाली संकलन+शीतलीकृत	टाटा 407	240
9	9	सरदा–देवरी–बारगांव–लावातरा–बेरला–सोढ़–तारालिम–सरदा	8	टाटा 407	110
10	10	माटरा–पेण्ड्री–धमधा–नंदनीनगर–अहिवारा–मावलीभाठा बी.एम.सी.	8 शटल	टाटा ए.सी.ई.	136
11	11	सरदा–मौलीभाठा शीतलीकृत दूध उरला डेयरी	8 शीतलीकृत ए	टाटा 407	123
12	12	लखौली–धमनी–तामासिवनी–छटेरा–भिलाई–आरंग–रसनी–लखौली एवं शीतलीकृत दूध उरला डेयरी	24 संकलन + शीतलीकृत	महेन्द्रा पिकअप	266
13	13	बीजागोड़–खैरागढ़–उरला डेयरी	खैरागढ़ शीतलीकृत	पिकअप	
		पखांजूर शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग			
14	1	पखांजूर–पी.वी. 1–पी.वी.4–पी.वी. 6–पी.वी. 119–कापसी–पखांजूर	पखांजूर–1	पिकअप	110
15	2	पखांजूर–पी.वी. 58–पी.वी.34–पी.वी. 122–पी.वी. 156–पखांजूर	पखांजूर–2	टाटा ए.सी.ई.	90
16	3	पखांजूर–पी.वी. 69–पी.वी.117–पी.वी. 11–पी.वी. 155–पी.वी. –55–पखांजूर	पखांजूर–3	टाटा ए.सी.ई.	96
17	4	पखांजूर–पी.वी. 84–पी.वी.–80–पी.वी. 74–पी.वी. 39–पखांजूर	पखांजूर–4	टाटा ए.सी.ई.	110
18	5	पखांजूर–पी.वी. 21–पी.वी. 127–पी.वी. 23–पी.वी. 24–पी.वी.37–पखांजूर	पखांजूर–5	टाटा ए.सी.ई.	80
19	6	पखांजूर–पी.वी. 19–पी.वी. 25–पी.वी. 26–पी.वी. 32–पी.वी. 126–पखांजूर	पखांजूर–6	टाटा ए.सी.ई.	80
20	7	पखांजूर–पी.वी. 54–पी.वी. 51–पी.वी. 17–पी.वी.27–पी.वी. 30–पखांजूर	पखांजूर–7	पिकअप	132
21	8	पखांजूर–पी.वी. 45–पी.वी. 64–पी.वी. 72–पी.वी. 15–पी.वी. 42–पखांजूर	पखांजूर–8	टाटा ए.सी.ई.	110
		धमतरी शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग			
22	1	धमतरी–चारवाही–धनेली–फागुनदाह–धमतरी	डी–2	बोलेरो पिकअप	196
23	2	धमतरी–तरसीवा–भेडरवानी–छाती–धमतरी	डी–6 (बी–4)	बोलेरो पिकअप	166
		पुटीडीह (जांजगीर–चांपा) बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग			
24	1	लटेसरा–सपोस–पुटीडीह मार्ग	पुटीडीह BMC–1	पिकअप	150
25	2	कोटमी–हसौद–मालखलौदा मार्ग	पुटीडीह BMC–2	पिकअप	202
		बम्हनीडीह (जांजगीर–चांपा) बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग			
26	1	बम्हनीडीह–उदयभाठा–भोथिया मार्ग	बम्हनीडीह BMC–1	पिकअप	200
		दुग्ध शीत केन्द्र बसना से संबद्ध मार्ग			
27	1	कौहाकुड़ा बी.एम.सी.–कोमा–बीकेबाहरा–सम्हर–खपराखोल–सरायपाली कौहाकुड़ा बी.एम.सी.	के–1	टाटा ए.सी.ई.	212
28	2	गोड़बहाल बी.एम.सी.–जम्हर–छिबर्रा–गड़बेड़ा–अर्जुनी–गोड़बहाल बी.एम. सी.	7–ए	टाटा लिलैण्ड	68
29	3	रंगोरा बी.एम.सी.–देवरूम–चांदन–डूमरपाली–रंगोरा बी.एम.सी.– कुरकुटी –पकरीद–रंगोरा बी.एम.सी.	शीतलीकृत 6–डी	पिकअप	58
30	4	भगतदेवरी बी.एम.सी.–ढ़ोडरकसा–लालमाटी–डोगरीपाली–जामजुड़ा–आर. बी.चीप –भगतदेवरी बी.एम.सी.–छांदनपुर–रेमड़ा–साल्हेतराई–भैरोपुर	शीतलीकृत भगतदेवरी BMC–1	पिकअप	160

		–तिलंजनपुर–भगतदेवरी बी.एम.सी.			
31	5	बसना सी.सी.–अजगरखार–टांगापासा–ढ़ालम–दलदली–तिलाईदादर –गढ़गांव–लिमदरहा–भस्करापाली–पिरदा–ब्राम्हणपुरी–भीखापाली– चनौरडीह–रसोड़ा–बरगांव–गनेकेरा–बाराडोली–बिटांगीपाली– बसना सी. सी.	6–ए	टाटा पिकअप 407	162
32	6	बसना सी.सी.–कुदारीबाहरा–आमापाली–गढ़फूलझर–अंकोरी–चिमरकेल –देवरी पी–तोषगांव–बरडीह–मोहका–सिंघनपुर–बरपेलाडीह– पिपलखूंटा –भूकेल बसना सी.सी.	6–ई	टाटा पिकअप 407	144
33	7	बनहर–बसना शीतलीकृत दूध	बनहर–बसना शीत.	पिकअप	114
34	8	सालर–बसना शीतलीकृत दूध	सालर–बसना शीत.	पिकअप	106
		रायगढ़ से संबद्ध मार्ग			
35	1	लेन्धा बी.एम.सी.–कोड़ाडीपा–सकरतुंगा–परसाडीह–धनीगांव–लेन्धा बी.एम. सी. एवं लेन्धा बी.एम.सी.–बुंदेली–खीचरी–कुम्हारी–सराईपाली–लेन्धा बी. एम.सी.	लेन्धा BMC–1	टाटा ए.सी.ई.	52
36	2	लेन्धा बी.एम.सी.–गौरडीह–डोंगरीपाली–कालाखूंटा–हट्टापाली–करनपाली –तौसिर–बहलीडीह–लेन्धा बी.एम.सी.	लेन्धा BMC–2	महिन्द्रा पिकअप	158
37	3	बरपाली बी.एम.सी.–अमलीपाली–डूमरसिंहा–बड़ेनवापारा–खोरीगांव– संडा–बरपाली बी.एम.सी.	बरपाली BMC–1	टाटा 207	116
38	4	बरपाली बी.एम.सी.–बेलपाली–कोड़ातराई–घनातराई–भठली–बरपाली बी. एम.सी.	बरपाली BMC–3	महिन्द्रा जीतो	138
39	5	गोबरसिंघा बी.एम.सी.–कोतमरा–लिंजिर–लोधिया–डभरा–गोबरसिंघा बी. एम.सी.	गोबरसिंघा BMC–1	महिन्द्रा पिकअप 207	158
40	6	अमझर–बी.एम.सी.–हिच्छा–कपिस्दा–नवरंगपुर–सिंगारपुर–अमझर बी.एम. सी.	अमझर BMC–1	टाटा ए.सी.ई.	107
41	7	खर्री बड़े–भेड़वन–डोंगिया–टेंगनापाली–ताड़ीपार–खर्री बड़े बी.एम.सी.	एस–1	टाटा ए.सी.ई.	130
42	8	रायगढ़–अमलीडीहा–बायंक–नंदेली–रायगढ़	रायगढ़–अमलीडीहा	पिकअप	152
		नंदौरखुर्द बी.एम.सी. (जांजगीर–चांपा) से संबद्ध मार्ग			
43	1	नंदौरखुर्द–बानानारा	नंदौरखुर्द बी.एम.सी.	पिकअप	160

नोट–

1–नये बी.एम.सी. प्रारंभ होने पर मार्ग की दूरी में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
2–शीतलीकृत दूध को दुग्ध महासंघ के टेंकर से उठाया जाता है तो संबंधित मार्ग को बीच में बंद किया जा सकेगा।

3–वाहन माडल वर्ष 2016–17 के पश्चात् की प्राथमिकता दी जावेगी।
4–बंद लिफाफे के उपर निविदाकार का नाम व पता, वाहन क्रमांक एवं मार्ग क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य हैं।